

## न्यायालय संभागीय आयुक्त भारतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

**अपील संख्या :- 126/23 (धारा 75 भू-राज०अधि०1956) (RCMS No.2023/146)**

1. राजेश पुत्र प्रभू गुर्जर निवासी ग्राम हथडोली तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर।  
.....अपीलान्टस

### बनाम

1. अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति / उपजिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
  2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बौली जिला सवाईमाधोपुर।
  3. हेमराज पुत्र रामचन्द्रनाथ जाति नाथ
  4. बाबू पुत्र रामचन्द्रनाथ जाति नाथ
  5. विनोद पुत्र रामचन्द्रनाथ जातिनाथ
- } निवासीयान ग्राम हथडोली तहसील  
बौली जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोजेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर दिनांक 08.05.2019 व सिलसिले प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स प्रकरण संख्या 25/17 राजेश बनाम आवंटन सलाहकार समिति स०मा० वगैरह ।

उपस्थिति:-

1. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता वकील अपीलान्ट।
2. श्री मनीष तंवर वकील रैस्पोजेन्टस।

### निर्णय

दिनांक:- 27.02.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा रैस्पोजेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के पिता के पक्ष में खसरा नम्बर 840 ग्राम हथडोली में दिनांक 27.05.1981 को ढाई बीघा भूमि का आवंटन किया गया। इस आवंटन के विरुद्ध अपीलान्ट के पिता प्रभू द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में बाद कार्यवाही जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2019 पारित करते हुये आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1981 में कोई विधिक त्रुटी नहीं पाये जाने के कारण किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की दी गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2019 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

४९  
27.2.2024

संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भारतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.05.2019 विधिविरुद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकार्ड के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम हथडोली के खसरा नंबर 840 रकबा 5 बीघा का दिनांक 27.05.1981 को किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने बाबत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। इस प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा खारिज किया गया। रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता रामचन्द्र द्वारा विवादित भूमि का आवंटन अपने पक्ष में तथ्यों का छिपाकर एवं कपटपूर्वक करवाया था, क्योंकि जिस समय उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा विवादित भूमि का आवंटन रैस्पोडेन्ट के पिता के पक्ष में किया गया। उस समय विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन चारागाह थी। चारागाह भूमि को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किये जाने पर प्रतिबंध होने के बाबजूद उक्त भूमि का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि को सिवायचक बारानी बताकर नियम विरुद्ध रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता के पक्ष में किया गया है। जबकि खसरा नंबर 840 का सम्पूर्ण रकबा 51 बीघा 11 विस्वा का था, जो कि सम्वत् 2040 तक चारागाह में दर्ज रही है। फिर भी दिनांक 27.05.1981 को रैस्पोडेन्ट नम्बर 3 लगायत 3 से 5 के पिता के पक्ष में उपरोक्त भूमि का आवंटन किया गया है, जो कि विधिविरुद्ध था। इस बिन्दु पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व कोई विचार नहीं किया गया। चारागाह भूमि को बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव से न तो आवंटित किया जा सकता है और न ही सिवायचक या बंजड में परिवर्तित ही किया जा सकता है। आवंटन सलाहकार समिति या जिला कलक्टर को चारागाह भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन करने का कोई अधिकार नहीं होने के बाबजूद अपीलाधीन आवंटन को यथावत रखने में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा कानूनी भूल की गई है। खसरा नम्बर 840 रकबा 51 बीघा 11 विस्वा को ग्रामवासियों के पशुओं के चारागाह के लिये राज्य सरकार द्वारा रिजर्व रखी गई थी। उक्त भूमि के बदले अन्य सिवायचक भूमि को चारागाह में परिवर्तित किये बिना आवंटन किया जाना नियमविरुद्ध है। चारागाह भूमि को सिवायचक बंजड बताकर आवंटन किये जाने से ही किसी आवंटन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाबजूद भी उक्त तथ्य को जिला कलक्टर द्वारा नजरअंदाज किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा या जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन आवंटन किये जाने से पूर्व विवादित भूमि को चारागाह से सिवायचक में परिवर्तित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा आवंटी रामचन्द्र द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। आवंटी का कब्जाकाशत नहीं होने के कारण भी अपीलाधीन आवंटन निरस्तनीय था। विवादित भूमि ग्राम हथडोली के पशुओं की चराई के लिए आरक्षित रखी गई थी। उक्त भूमि आज भी ग्राम हथडोली के पशुओं की चराई के काम में



27/2/2019  
 संभागीय आयुक्त  
 भारतपुर संभाग, भारतपुर



आ रही है। आवंटित भूमि पर आवंटी रामचन्द्र या रैस्पोजेन्ट संख्या 3 से 5 का कभी कोई कब्जा या काश्त नहीं रहा। इसलिए उक्त आवंटन निरस्तनीय है। जहां तक आवंटित भूमि का आवंटी या उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार मिलने के कारण आवंटन निरस्त नहीं किये जा सकने का प्रश्न है तो केवल मात्र खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से ही 14(4) संबंधी प्रावधान के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। इसके अलावा नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु कोई मियाद भी निर्धारित नहीं है। चूंकि अपीलाधीन आवंटन गलत तथ्यों के आधार पर चारागाह भूमि का किया गया है, जो कि नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि जहां तक सिविल कोर्ट में प्रकरण विचाराधीन होने का मामला है तो केवल वहां मामला विचाराधीन होने से ही नियम 14(4) आवंटन रूल्स के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। इस बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। अपीलाधीन निर्णय से पूर्व ही अपीलान्ट के पिता प्रभु गुर्जर का स्वास्थ्य बहुत अधिक रहते हुये वे मरणासन्न स्थिति में चलते रहे तथा करीब 3 माह पूर्व उनका देहान्त हो गया। अपीलान्ट पहले तो उनकी सेवा व देखभाल में लगा रहा तथा उनके देहान्त के बाद उनके कियार्कर्म में व्यस्त हो गया। इसलिए अपीलान्ट वकील साहब से आकर तारीख पेश पर चल रही कार्यवाही व अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 के बारे में जानकारी नहीं कर सका। दिनांक 03.11.2019 को अपीलान्ट ने अपने वकील श्री गजानन्द गोयल से जानकारी की तो उन्होंने दिनांक 08.05.2019 को निर्णय होकर प्रार्थना पत्र खारिज होना बताया जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 04.11.2019 को निर्णय की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। निर्णय की नकल दिनांक 05.11.2019 को प्राप्त होने पर अन्दर मियाद उक्त अपील अदालत हाजा में पेश की गई है तथा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोजेन्ट की ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 निरस्त किया जावे तथा रैस्पोजेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 27.05.1981 को किये गये आवंटन को खारिज किये जाने का आदेश दिया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पोजेन्ट ने तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत हुए तथ्यों व रिकार्ड का पूर्ण अवलोकन करने के बाद पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। प्रथम तो उक्त अपील अपीलान्ट की ओर से मियाद बाहर पेश की गई है तथा अपील को मियाद बाहर पेश करने का जो कारण दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में बताया गया है, वह पर्याप्त व उचित नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट मियाद संबंधी बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। इसके अलावा प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत

27.2.2019  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, भारतपुर

अपील भी चलने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व तहत अदालत द्वारा नियमानुसार रिकार्ड का अवलोकन किया गया है। मौके की जांच की गई है और कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर ही कानून के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश 08.05.2019 पारित किया है। वकील अपीलान्त का भूमि के किस्म के बारे में दिया गया यह तर्क कि विवादित भूमि वक्त आवंटन चारागाह थी, गलत है क्योंकि सम्वत 2031 से 2033 तक विवादित भूमि की किस्म चारागाह थी। इसके सम्वत 2034 में किस्म परिवर्तित होने के बाद राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज हो गई थी। खसरा नंबर 840 का कुल रकबा 101 बीघा था, जिसमें से 45 बीघा भूमि विभिन्न भूमिहीन काश्तकारों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित किये जाने हेतु वर्ष 1974 में किस्म परिवर्तन कर सिवायचक दर्ज की गई थी। इस भूमि के बदल खसरा नंबर 887 की 45 बीघा भूमि चारागाह के रूप में दर्ज की गई थी। जिसकी पुष्टि अदालत मातहत में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से हो रही है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा किस्म परिवर्तन के 6-7 वर्ष बाद रैस्पोडेन्ट के पिता के हक में दिनांक 27.05.1981 को विवादित भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। जहां तक आवंटित भूमि पर रैस्पोडेन्ट या उनके पिता की काश्त नहीं होने का प्रश्न है तो वकील अपीलान्त का यह तर्क भी गलत है, क्योंकि खसरा गिरदावरी सम्वत 2038 से 2065 से स्पष्ट है कि आवंटित भूमि पर बाजरा, जोत, तारामीरा इत्यादि लगातार काश्त की गई है। उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय के आधार पर रैस्पोडेन्ट के पिता के नाम से विवादित भूमि जो कि वक्त आवंटन सिवायचक थी, नियमानुसार आवंटित की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। इतने लम्बे अर्से के बाद केवल विधिक त्रुटी अथवा छल पूर्वक किया गया आवंटन ही निरस्त किया जा सकता है प्रार्थना पत्र 14(4) को आधार बनाया जाकर नियमानुसार जारी आवंटन आदेश को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा संबधित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल न्यायालय एवं उपजिला कलक्टर न्यायालय बौली में प्रकरण जैरकार है। जिसमें पक्षकारान का हित तय होना है ऐसी स्थिति में न्याय के परिपेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी रामचन्द्र के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1981 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं रहता है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.05.1981 को यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्त ने तर्क दिया कि वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से अपीलान्त की अपील को मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज किये जाने का तर्क दिया है, परन्तु अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्त को दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। दूसरी ओर अपीलान्त ने दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में जानकारी के बारे में स्पष्ट तथ्य अंकित कर इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश



27.2.2019  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया है। इसलिए अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाकर रैस्पोडेन्ट के पिता को आवंटित भूमि की किस्म चारागाह होने के कारण उक्त आवंटन निरस्त किया जावे।

अपीलान्त व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्त की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 के विरुद्ध अदालत हाजा में दिनांक 02.12.2019 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्त की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 03.11.2019 को उनके अभिभाषक श्री गजानंद गोयल के माध्यम से होने पर दिनांक 04.11.2019 को नकल हेतु आवेदन करने व दिनांक 05.11.2019 को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से बहस में अपील अपीलान्त मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने का उल्लेख किया गया, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्त को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व कब व किस माध्यम से प्राप्त हुई है। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्त को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में हमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्त की ओर से अदालत हाजा में प्रस्तुत मीमो आफ अपील में वर्णित सभी तथ्यों का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 में हवाला दिया है। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस में



485  
17/2/2020  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वर्णित तथ्यों का हवाला देने के बाद अपीलाधीन निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह उल्लेख किया है कि वक्त आवंटन रैस्पोडेन्ट के पिता को आवंटित भूमि की किस्म चारागाह नहीं होकर सिवायचक थी। जिसकी किस्म परिवर्तन आवंटन के 6-7 वर्ष पूर्व ही की जा चुकी थी। इसके अलावा आवंटित भूमि पर रैस्पोडेन्ट के पिता का कब्जाकाश होने के संबंध में सम्वत् 2038 से 2065 तक की खसरा गिरदावरी में काशत दर्ज होने का उल्लेख भी किया हुआ है। निर्णय में वर्णित राजस्व रिकार्ड अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में संलग्न है। उक्त निर्णय में उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की ओर से प्रस्तुत विभिन्न नजीरों का उल्लेख कर इन्हें विवेचित भी किया गया है। इसमें यह भी माना गया है कि आवंटित भूमि का आवंटी व उसके पश्चात उसके वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के कारण आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। केवल मात्र मिथ्या कथन या छलपूर्वक कराये गये आवंटन को ही निरस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में अपीलान्त यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 4 के पिता द्वारा आवंटन के संबंध में क्या तथ्य छिपाया गया है या किस तरह से छल पूर्वक आवंटन करवाया गया है। चूंकि रैस्पोडेन्ट के पिता द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम-लघू सिंचित परियोजना राजस्थान भूमि आवंटन) नियम 1957 के अन्तर्गत भूमि आवंटित किये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। इस प्रार्थना पत्र के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 27.05.1981 को रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता को खसरा नंबर 840 रकबा 5 बीघा किस्म बारानी को गैर खातेदारी के आधार पर आवंटित किये जाने का आदेश दिया है। इसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के पिता के पक्ष में निर्धारित प्रारूप में आवंटन आदेश जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त आवंटन सर्वसहमति से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया है तथा वक्त आवंटन उक्त भूमि की किस्म चारागाह नहीं होकर राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बारानी है। जिसे आवंटित किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.05.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मूल प्रमाँ)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर

संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

